8/12/22 पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 9/12/22 को पेश हो।

09/12/22 पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 03/02/23 को पेश हो।

03/02/23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील की ओर से ब्रिफ होल्डर ब्रिफ होल्डर श्री मेहराराम उप.। ब्रिफ होल्डर ने निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान का प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन जो न्यायालय द्वारा दिनांक 14/09/22 को वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे उप. नही होने के कारण आवेदन पत्र को अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण को उनके वकील ने पेशी पर आने का मना कर दिया गया। तथा कहा कि जबकि आवश्यकता होगी तब आपको सूचित कर दिया जायेगा जिसके बाद हम अपने मुकदमे पैरवी को लेकर निश्चिन्त हो गये थे। आज से 3-4 दिन पहले जब प्रार्थीगण ने अपने वकील सम्पर्क कर उक्त पत्रावली की जानकारी चाही तो वकील ने न्यायालय पत्रावली की जांच की तो ~~वकील के~~ उन्हे ज्ञात हुआ कि उक्त पत्रावली दिनांक 14/09/22 को अदम पैरवी व अदम हाजरी खारिज कर दी गई। जानकारी की दिनांक से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंदर म्याद स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन पुनः बरामद किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। पत्रावली को पुनः बरामद करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 51/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

अमरू देवी वगैरा बनाम जमाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री हुकमसिंह गोदारा

विप्रार्थी संख्या 22 के वकील–महिपालदान चारण

निर्णय दिनांक – 3/2/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र तरला भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा खारी के खेत खसरा संख्या 122 रकबा 56.09 बीघा व खसरा सख्या 215 रकबा 213.17 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र तरला भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा खारी के खेत खसरा संख्या 122 रकबा 56.09 बीघा व खसरा सख्या 215 रकबा 213.17 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.2.23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. अमरू पत्नि उमाराम 2. कसुम्बी पत्नि केहराराम 3. गंगाराम पुत्र खीमाराम 4. गंगाराम पुत्र सोनाराम 5. गणपतराम पुत्र खेताराम 6. गणपत पुत्र केहराराम 7. चेतनराम पुत्र सोनाराम 8. चैनाराम पुत्र सोनाराम 9. जसाराम पुत्र उमाराम 10. तगाराम पुत्र पेमाराम 11.तीजो पत्नि सोनाराम 12. नवलाराम पुत्र सोनाराम 13.पूराराम पुत्र खीयाराम 14. मगाराम पुत्र भूराराम 15.मोटाराम पुत्र मालाराम 16. रेखाराम पुत्र उमाराम 17.रतनीदेवी पत्नि खेताराम 18.रूपाराम पुत्र उमाराम 19.रामाराम पुत्र उमाराम 20. रावताराम पुत्र केहराराम 21.लुम्बाराम पुत्र भूराराम 22.शांति उर्फ हेमी पुत्री भारूराम 23.बाकाराम पुत्र खेताराम 24. हेमाराम पुत्र उमाराम 25.हेमीदेवी पत्नि भूराराम 26. हिमथाराम पुत्र भूराराम 27.हीराराम पुत्र भूराराम 28. भूरी पत्नि तगाराम जाति जाट, निवासी खारी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	बनाम	1. तहसीलदार सेड़वा 2. जसाराम पुत्र लालाराम 3. जीयाराम पुत्र लालाराम 4. अचलाराम पुत्र उदाराम 5. अमराराम पुत्र मेहरा 6. आसूराम पुत्र मेगाराम 7. खूमाराम पुत्र उदाराम 8. खीयाराम पुत्र मेहरा 9. गुमनाराम पुत्र मेगा 10. गोरखाराम पुत्र मेहरा 11.भगवानाराम पुत्र मेहरा जातियान जाट 12.समुदेवी पत्नि लखाराम 13. आईदाना पुत्र बांका 14.चतरा पुत्र बांका 15. सवाई पुत्र चेना 16.चतरा पुत्र भूपा 17.नाथा पुत्र भूपा 18. प्रागा पुत्र भूपा 19. मनरा पुत्र भूपा जातियान कोली 20. पवनी पत्नि रेशमा 21. सुन्दर पत्नि गंगाराम जातियान– मेघवाल 22.अमरदान पुत्र हेमदान 23. छगनबाई पत्नि हेमदान 24.लक्ष्मीदान पुत्र मगनदान 25. शकरदान पुत्र मगनदान जातियान चारण, समस्त निवासीयान खारी, पोस्ट गिड़ा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 26 / 2023 दिनांक : 3/2/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र तरला भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा खारी के खेत खसरा संख्या 122 रकबा 56.09 बीघा व खसरा सख्या 215 रकबा 213.17 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के पश्चात ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाने से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
दिनांक 17/5/23

क्रमांक /रा.अ./2023/ 819-821

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा ।
2. प्रार्थी अमरू पत्नि उमाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण जसाराम पुत्र लालाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा